प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC का जवाब प्रस्तुत किया तथा जवाब के समर्थन में RRT 2009(1), RRT 2009(2) न्यायिक दृष्टान्तों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई। इनके दोनों पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक - 04.10-2017 को पेश हो।

[signature]

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

04/10/17 पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC पेश हुई। इनके प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया। वकील प्रतिवादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी खेत ख. नं. 74 रकबा 149-15 बीघा, ख. नं. 73 रकबा 0-13 बीघा मौजा नई खड़ाली (खड़ाली) के सम्बन्ध में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पारस्परिक सहमति से तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 14-06-2002 ~~[illegible]~~ के द्वारा बंटवारा हो चुका है तथा राजस्व अभिलेख में अलग अलग इन्द्राज भी किये जा चुके हैं जिससे वादीगण पुनः इन्हीं खसरों के विभाजन का दावा लाने से विबन्धित हैं। विधिक प्रावधानों के अनुसार पक्षकार एवं समान वाद की विषय वस्तु के निश्चित किये

[signature]

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

जा चुके मामले की विषयवस्तु के सम्बन्ध में पुनः इसी न्यायालय में कोई दावा नहीं किया जा सकता है इसलिये वादी का वादपत्र व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान अनुसार खारिज फरमाया जावे।

इसके विपरीत वकील वादीगण की बहस है कि दिनांक 24.09.2010 के बाद से लगातार 7 वर्ष तक प्रतिवादी के जवाब का अवसर चाहा गया। दिनांक 10/02/2017 को प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश न कर उक्त प्रार्थना पत्र 07 R-11 CPC का पेश कर वाद की पोषणीयता को चुनौती दी है। इतने लम्बे अन्तराल के बाद जवाबदावा के स्थान पर पोषणीयता को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के प्रावधानों के अनुसार वाद प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R-11 CPC का पोषणीय नहीं है क्योंकि केवल ~~सारहीन~~ मात्र वाद को लम्बा करने के उद्देश्य से पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र 07 R-11 खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का जवाब का अवसर बन्द किया जावे तथा वादीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया जावे।

उपरोक्त बहस पर मनन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार यह तथ्य स्पष्ट हुआ है। उक्त वाद की वादग्रस्त आराजी खेत ख.नं. 74 रकबा 149-15 बीघा, ख.नं. 73 रकबा 0-13

हुक्म या कार्यवाही ... में जारी हुए

बीघा मौजा नई रबासनी का वादीगण व
प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति
से खाते पारस्परिक विभाजन तहसीलदार
गुड़ामालानी के आदेश क्रमांक 14/06/2002
द्वारा हो चुका है तथा इसी [illegible]
के अनुसार राजस्व अभिलेख में भी तदनुसार
इन्द्राज किया जा चुका है, अतः
वादीगण द्वारा इसी अनुतोष का
वाद इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया
जाना विधिक प्रावधानों के विपरीत
होने से वाद विधि द्वारा वर्जित है।
अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC
स्वीकार योग्य होने से स्वीकार
किया जाकर वाद वादीगण विधि
विरुद्ध होने से खारिज किया जाता
है पत्रावली निर्णय शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2017
को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
04/10/17
सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी